न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/2017

मल्लासिंह पुत्र ईशरसिंह उर्फ शेरसिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. देवेन्द्र

पिसरान बक्शीश सिंह जाति राजपूत निवासी 23 जी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

3. राजस्थान सरकार। —— रेस्पोन्डेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा.भू–राज.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 24.07.1996

उपस्थितिः–

श्री काशीराम रणवां अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :–** 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 24.07.1996 से उप शासन सचिव उपनिवेशन विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 15.07.1996 की पालना में रेस्पों. को चक 8 पी. के मु. नं. 158/62 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.1999 को अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील/एल.आर./1558/2001/गंगानगर पेश करने पर उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 15.02.2017 को स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर रेस्पों. सं. 1 व 2 को जरिये रजि.एडी सम्मन से तलब किया गया जिस पर यह रिपोर्ट आई कि बार–बार जाने पर वर्णित आदमी नहीं मिला जिस पर रेस्पों. को जरिये समाचार पत्र से तलब करने के आदेश दिये गये। जिसकी

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पालना में रेस्पों. के सम्मन समाचार पत्र में साया करवाए गए लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि को अपीलांट को एफ श्रेणी में मानते हुए पुख्ता आवंटन किया गया जो अपीलांट द्वारा किश्तों की राशि जमा करवाने पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापित में आरक्षित मानकर रेस्पों. सं. 1 व 2 को आवंटित की गई है जबकि उक्त भूमि कभी भी पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित नहीं थी। अपीलांट केन्द्रीय कारागार बीकानेर में बंद होने के कारण मौके पर काश्त नहीं कर पा रहा था जबकि अपीलांट द्वारा समय–समय पर किश्तों की राशि जमा करवायी गई। अधी. न्यायालय द्वारा रेस्पों. को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है एवं अपीलांट से बकाया किश्तों की राशि मय ब्याज जमा करवाकर अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने से रेस्पों. सं. 1 व 2 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.07.1996 के विरूद्ध पेश की है जिसमें तहसील घडसाना के चक 23 जी.डी. के मु. नं. 106/37 की भूमि तहसील अनूपगढ के चक 8 पी के मु.नं. 158/62 से विनिमय में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि विनिमय में आवंटित विवादित कृषि भूमि तहसील अनूपगढ चक 8 पी के मु.नं. 158/62 की भूमि अपीलांट को आवंटित होकर उसके कब्जा काश्त में है। अतः अधी. न्यायालय का आवंटन अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट मल्लासिंह को तहसील अनूपगढ के चक 8 पी का मु.नं. 158/62 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कीमतन दिनांक 15.02.83 को आवंटित की गई थी जिसकी मूल पत्रावली अधी. न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठ 17 है जिसका विवरण सरबरक पर अंकित है यथा सरवर्क 1/1, फर्दअहकाम 2/1, आवेदन पत्र 3/3, शपथ पत्र 4/1, स्टाम्प 5/1, नोटिस 6/1, फोटो फार्म 7/1, आवंटन आदेश 8/1, रिकार्ड 9/1, प्रा.पत्र 10/1, इकरारनामा 11/1, प्रा.पत्र 12/1, मुख्त्यारनामा 13/1, प्रा.पत्र 14/1 हल्फनामा 15/1 कुल 17 पृष्ठ है। इस पत्रावली में आवंटी मल्लासिंह को आवंटित विवादित कृषि भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। यह आवंटन यथावत रहते हुए अपीलाधीन विनिमय आवंटन की स्वीकृति जारी की गई है। पुनरावेदन क्रमांक 222/97 इस न्यायालय में दर्ज होकर दिनांक 17.09.1999 को निर्णय किया गया कि अपीलांट अन्य भूमि आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन करन पर विचार किया जा सकता है। फलस्वरूप पुनरावेदन अस्वीकार किया गया जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश होने पर अपील/एल.आर/1558/2001/श्रीगंगानगर पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 15.05.2017 में माननीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर held किया है जिसके संदर्भ पैरा नं. 5 से 8 संदर्भित है जिसका पठन है कि (5) राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 21 निम्नानुसार है:— नियम 21— Cancellation of Allotment- If at any time it is discovered that any allotment of Government land was made under these rules upon an incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any other document produced by an allottee, the Allotting Authority may order cancellation of such allotment and may also order re-entry upon and taking possession of the land without payment of any compensation [and the amount of installments already paid shall be forfeited] Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard. उक्त नियमों में आज्ञापक प्रावधान है कि आवंटी को बिना सुने हुए आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। (6)—इस प्रकरण में दिनांक 15.02.83 को भू आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को चक 8 पी तहसील अनूपगढ के मु.नं.158/62 क्षेत्रफल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है इसमें यह भी रिपोर्ट की गई है कि यह रकबा शुद्ध आराजी राज है एवं विवादित नहीं है। अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश भी दिनांक 19.03.83 को जारी किया हुआ है। आवंटी के द्वारा आवंटन के समय में चालान द्वारा किश्तें भी जमा करायी गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटन के इच्छुक ही नहीं हो। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.07.96 जिसके द्वारा विवादित आराजी रेस्पो. को आवंटित की गई है इस आदेश में पूर्व के आवंटन निरस्त करने के संबन्ध में कुछ भी अंकित नहीं किया हुआ है। (7) न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्व में किए गए आवंटन को निरस्त करने के बाद ही अन्य को आवंटन किया जाना चाहिए। नियमों में भी यही व्यवस्था है कि किए गए आवंटन को निरस्त करने से पूर्व आवंटी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकरण में आवंटन अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने केवल मात्र अपने आदेश में यह माना है कि यह भूमि पूर्व में अपीलांट को आवंटित है तथा उसने आवंटन की शर्तों की पालना की है तो इसके बदले में अन्य भूमि की आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिए अपीलांट आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर उस पर विचार किया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता जिन्होंने नियमानुसार आवंटन किया गया हो एवं जिस व्यक्ति के आवंटन को निरस्त नहीं किया गया बिना आवंटन निरस्त किए ही इस भूमि का अन्य व्यक्तियों को आवंटन कर दिया जाए यह विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी सुविचारित राय में प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। (8) फलस्वरूप यह अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज के बारे में प्रतिउत्तर में अपीलांट यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो उस पर भी अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलीय न्यायालय में दिनांक 05.06.2017 का उपस्थित होवें।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.05.17 में अपीलांट के आवंटन निरस्त नहीं माना जाकर रेस्पों. को किया गया विनिमय आवंटन विधिसम्मत नहीं माना है साथ ही निर्देश प्रदान किये है कि रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज के बारे में प्रति उत्तर के बारे में अपीलांट यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो उसे भी विधिसम्मत निर्णय पारित करे बाबत इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अवलोकन किया जिसका पठन है कि उक्त अनवान की अपील श्रीमान न्यायालय में जैरकार है। प्रा.पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज मौजूदा अपील के सही निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है जो पूर्व में प्रार्थी को उपलब्ध नहीं थे। दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं जिन्हें फर्जी बनाए जाने का कोई अहकाम नहीं है तथा मौजूदा अपील के अन्तिम निर्णय हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है, दस्तावेज बिना किसी देरी के प्रस्तुत किये जा रहें हैं। अतः संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपियां रिकार्ड पर ली जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत भू प्रबन्ध विभाग की संवत् 2037 से 2046 तक की ग्राम 3 एफ.एफ.बी की भू प्रबन्ध विभाग का फार्म सं. 7 है वह प्रकरण हाजा में किस रूप में है सन्दर्भित है स्पष्ट करने हेतु रेस्पों. या उनका अभिभाषक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विवेचन नहीं किया जा सका। वही अपीलांट अभिभाषक द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को तहसील अनूपगढ के चक 8 पी प.नं. 158/62 कि.नं. 1 से 25 की 25 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और सेल रजिस्टर में अपीलांट का खाता खोला जाकर किश्तें अपीलांट द्वारा जमा करवायी गई थी। उक्त सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील में पेश की जानी इन्साफन आवश्यक है। अपीलाधीन भूमि के चिपती भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित की गई है और अपीलाधीन भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित नहीं थी इस ब्लाक में कोई भूमि पोंग बांध के लिए आरक्षित नहीं थी। ऐसी सूरत में पडौसी काश्तकार की पर्चा खतौनी अपील में पेश की जानी इन्साफन आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां हैं जिन्हें पेश किया जाने से रेस्पों. को कोई क्षति नहीं है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जावे। जिसमें यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि अपीलांट को आवंटित कृषि भूमि पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित ही नहीं थी क्योंकि प्रा.पत्र के साथ प्रस्तुत उपनिवेशन विभाग के सन्दर्भ दस्तावेज इस तथ्य की ताइद करते हैं जिसे रिकार्ड पर लिया गया। इसी सन्दर्भ में दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्र उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर का पत्र कमांक पौ.बा./95/439 दिनांक 20.01.1995 को पढा जिसका पठन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर, विषयः— पो.बा.वि. हेतु आरक्षित शुद्ध रकबा राज की सूचना बाबत।, प्रसंगः— आपका अ0शा0 पत्रांक 5396 दिनांक 11.10.95 के संदर्भ में।,

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं अ0शा0 पत्रांक के संदर्भ में निवेदन है कि पोंग बांध विस्थापित श्री ओमप्रकाश–देवेन्द्रसिंह पि0 बक्शीश सिंह निवासी 23 जी.डी. तहसील घडसाना की मूल आवंटन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो रही है। पत्रावली की तलाश की जा रही है। इससे सम्बन्धित एक सर्वे पत्रावली सं. 869/92 प्राप्त हुई है जो संलग्न कर भिजवायी जा रही है। मूल पत्रावली प्राप्त होते ही श्रीमान जी की सेवा में पेश कर दी जावेगी। पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित रकबा में से शुद्ध रकबा राज तहसील वार निम्न प्रकार से है :–

(1) तहसील रायसिंहनगर–शून्य, (2) तहसील अनूपगढ –शून्य,

(3) तहसील घडसाना–283.15 बीघा (4) तहसील श्रीविजयनगर–469.06 बीघा,

योग 753.01 बीघा, तहसीदार सूची संलग्न है।,

पत्र में तहसील अनूपगढ में पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित रकबे में से शुद्ध रकबा राज शून्य दर्शाया है जिसका आधार तहसीलदार अनूपगढ द्वारा भेजी रिपोर्ट भूमि/3454/दिनांक 18.10.95 है यही रिपोर्ट अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 11 के रूप में उपलब्ध है तथा इसी तहसीलदार ने दूसरी इसके विपरीत रिपोर्ट भेजी जो पत्र कमांक भू.अ./4308 दिनांक 21.12.95 अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 57 के रूप में उपलब्ध है जिसका पठन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर।, विषयः– प्रा0 पत्र श्री ओमप्रकाश पुत्र बक्शीश सिंह पोंग बांध विस्थापित सा0 23 जी.डी.बाबत तबादले में भूमि आवंटन बाबत।, महोदय जी , उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी को घडसाना तहसील में आवंटित रकबे के बदले में चक 8 पी के मु.नं. 158/62 की 25 बीघा आवंटित करने बाबत प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त रकबा मुताबिक पटवार रिकार्ड आराजी राज पोंग बांध आरक्षण है तथा मौके पर खाली है किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उक्त रकबा विशेष आवंटन या अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रा.पत्र इस पत्र के संलग्न, अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि तहसीलदार अनुपगढ द्वारा यह रिपोर्ट क्यों, किस सन्दर्भ में भेजी जो विनिमय स्वीकृति का कारण एवं आधार बनकर

26/12/16
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विवाद की जड़ बनी है। अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दी गई गाईड लाइन अनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का विश्लेषण अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन करने एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण हाजा में दिये निर्देशों की पालना में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :–

(1) अपीलांट को आवंटित विवादित कृषि भूमि उसका आवंटन निरस्त किये बिना रेस्पों. को विनिमय आवंटन के रूप में स्वीकृति प्रदान करना विधिसम्मत नहीं है।

(2) विनिमय आवंटन स्वीकृति का आधार तहसीलदार की रिपोर्ट 21.12.1995 है जबकि इसी तहसीलदार द्वारा इस रिपोर्ट के विपरीत मात्र 2 माह पूर्व उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को जो रिपोर्ट दिनांक 18.10.1995 को भेजी गई थी का जिक्र विवेचन होता तो विनिमय आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढती। अतः रेस्पों. को किया गया आवंटन तहसीलदार स्तर पर तथ्यों को छिपाकर किया जाना प्रतीत होता है जो अपास्त का मोहताज है।

(3) माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.05.2017 द्वारा अपीलांट का आवंटन विधिसम्मत व रेस्पो. का विनिमय आवंटन विधि सम्मत नहीं होना तथा अपीलांट को वैकल्पिक आवंटन के लिए कहना भी विधिसम्मत नहीं माना होने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.1996 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट से देय राशि मय ब्याज जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर